# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
# पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 78 / 2018

| वादीगण :– | बनाम | प्रतिवादीगण :– |
|---|---|---|
| 1. लीलादेवी पुत्री स्व. चौथाराम पत्नी दुर्गा प्रसाद<br>2 प्रतापराम पुत्र स्व0 चौथाराम<br>3 रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 चौथाराम<br>4 इन्द्रदेवी .पुत्री स्व. चौथाराम पत्नि<br>5 ताराचंद जाति रैगर निवासीगण राणावास तह0 मारवाड़ जंक्शन।<br>6 विजयराज पुत्र स्व0 चौथाराम<br>7 कमलेश पुत्र स्व0 चौथाराम<br>8 श्रीकिशन पुत्र स्व0 चौथाराम तमाम जातिगण रैगर निवासीगण रेपड़ावास तह0 सोजत जिला पाली राज0। | | 1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली (राजस्थान) |

## राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री लक्ष्मण मेघवाल अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक – 18/07/2024

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा रेपड़ावास तह0 सोजत के पुराने ख0नं0 793 रकबा 0.74 है0 के वर्तमान ख.नं. 1077 रकबा 0.74 है0 की कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी सम्वत् 2029--32 में अंकित नोट अनुसार उक्त भूमि को चौथीया पुत्र दुर्गा जाति रैगर को नियमन की गई। दिनांक 05.12.2008 को वादीगण के पिता चौथाराम का देहान्त होने से फौतेदगी नामा0 दर्ज कराते समय जानकारी हुई कि वादीगण के पिता/पति चौथाराम पुत्र दुर्गाराम की जाति रैगर के स्थान पर मेघवंशी दर्ज की गई हैं। जबकि चौथाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवंशी नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रेपड़ावास में निवास नहीं करता हैं। सन् 2029–32 की जमाबंदी के बाद राजस्व रेकर्ड में आज तक अशुद्ध प्रवष्टि चली आ रही हैं। जिसे दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर सरहद मौजा ग्राम रेपड़ावास के ख.नं. 1077 रकबा 0.74 है0 की कृषि भूमि में वादीगण के पिता/पति का नाम दुरूस्त करते हुए

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

चौथाराम पुत्र दूर्गाराम जाति मेघवंशी के स्थान पर चौथाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी के पिता/पति की जाति गत भू-प्रबन्ध से ही मेघवंशी दर्ज है, जिसे वादी दुरूस्त करवाना चाहता है तो स्वयं साक्ष्य सबूतों से सिद्ध करें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई–

**1. आया वादी मौजा ग्राम रेपड़वास के ख.नं. 1077 रकबा 0.74 है0 भूमि वादी के पिता चौथीया को नियमन की गई।**

**जिम्मे वादी**

**2. आया वादी के पिता/पति चौथाराम को वादस्थ भूमि आवंटन हुई जिसमें वादी के पिता/पति की जाति रैगर के स्थान पर मेघवंशी गलत दर्ज हो गई।**

**जिम्मे वादी**

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

अधिवक्ता वादी ने शहादत वादी में बयान कलमबद्ध करवाये एवं दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया। शहादत वादी में पेश असल आधार कार्ड प्रदर्श–1 व इसकी फोटो प्रति प्रदर्श–1ए हैं। खसरा मिलान प्रदर्श–2 हैं। जमाबंदी सम्वत् 2029–32 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3 हैं, जिसमें मार्क ए से बी चौथीया पुत्र दुर्गा जाति रैगर नियमन किये जाने का नोट दर्ज हैं। जमाबंदी सम्वत् 2010–19 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–4 हैं। जमाबंदी सम्वत् 2025–28 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–5 हैं। जमाबंदी सम्वत् 2043–46 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–6 हैं। जमाबंदी सम्वत् 2046–50 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–7 हैं। जमाबंदी सम्वत् 2051–54 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–8 हैं। जमाबंदी सम्वत् 2067–70 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–9 हैं। जमाबंदी सम्वत् 2069 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–10 हैं। जमाबंदी सम्वत् 2059–63 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–11 हैं। जमाबंदी सम्वत् 2063–66 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–12 हैं। जमाबंदी सम्वत् 2005 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–13 हैं। जमाबंदी सम्वत् 2071–74 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–14 हैं। कार्यालय ग्राम पंचायत रेपड़ावास का प्रमाण पत्र प्रदर्श–15 हैं, जिन्हे प्रदर्शित करवाया गया। जिरह प्रतिवादी शुन्य रही ।

बहस अधिवक्ता वादीगण व तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा रेपड़ावास तह0 सोजत के पुराने ख0नं0 793 रकबा 0.74 है0 के वर्तमान ख.नं. 1077 रकबा 0.74 है0 की कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी सम्वत् 2029–32 में अंकित नोट अनुसार उक्त भूमि को चौथीया पुत्र दुर्गा जाति रैगर को नियमन की गई। दिनांक 05.12.2008 को

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

वादीगण के पिता चौथाराम का देहान्त होने से फौतेदगी नामा0 दर्ज कराते समय जानकारी हुई कि वादीगण के पिता/पति चौथाराम पुत्र दुर्गाराम की जाति रैगर के स्थान पर मेघवंशी दर्ज की गई हैं। जबकि चौथाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवंशी नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रेपडावास में निवास नहीं करता हैं। सन् 2029-32 की जमाबंदी के बाद राजस्व रेकर्ड में आज तक अशुद्ध प्रवष्टि चली आ रही हैं। जिसे दुरुस्त किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत ने साक्ष्य सबूतों के आधार पर वादी अपना वाद स्वयं साबित करना व्यक्त किया।

वस्तुतः उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का प्रस्तुत वाद पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जबाब दावा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात, गवाहान के मुख्य परीक्षण एवं लिये गये बयानात एवं स्वतंत्र गवाहो के बयानात के आधार पर बाद विवेचन/विश्लेषण कर तनकीवार विनिश्चय निम्नांकित रूप से किया जाता है-

**आया वादी मौजा ग्राम रेपड़वास के ख.नं. 1077 रकबा 0.74 है0 भूमि वादी के पिता चौथीया को नियमन की गई।**

जिम्मे वादी

अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा अपने पिता के आधार कार्ड प्रदर्श-1 जिसमें वादीगण के पिता की जाति रैगर अंकित हैं। इसी अनुरूप प्रदर्श-3 जमाबंदी सम्वत् 2029-32 में ए से बी अंकित नोट अनुसार चौथीया पुत्र दुर्गा रैगर की नियमन होना दर्जसुदा हैं। जिससे उक्त भूमि वादीगण के पिता को नियमन होने की पुष्टि होती है। लिहाजा तनकी सं0 01 बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती हैं।

2. **आया वादी के पिता/पति चौथाराम को वादस्थ भूमि आवंटन हुई जिसमें वादी के पिता/पति की जाति रैगर के स्थान पर मेघवंशी गलत दर्ज हो गई।**

जिम्मे वादी

अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा अपने पिता के आधार कार्ड प्रदर्श-1 जिसमें वादीगण के पिता की जाति रैगर अंकित हैं। इसी अनुरूप प्रदर्श-3 जमाबंदी सम्वत् 2029-32 में ए से बी अंकित नोट अनुसार चौथीया पुत्र दुर्गा रैगर की नियमन होना दर्जसुदा हैं। तत्पश्चात् खसरा मिलान एवं पश्चातवर्ती जमाबंदीयो में वादी के पिता/पति की जाति रैगर के स्थान पर मेघवंशी दर्ज होने की पुष्टि होती है। इसी अनुरूप ग्राम पंचायत रेपडावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श-15 में चौथाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवंशी गलत दर्ज होना अंकित किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

जिससे राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता की जाति रैगर के स्थान पर मेघवंशी गलत रूप से इन्द्राज होने की पुष्टि होती है। लिहाजा तनकी सं0 02 बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद, जवाब दावा फहरिस्त दस्तावेजात, बयानात गवाह का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत् 2029–32 के अंकित नोट अनुसार वादग्रस्थ भूमि चौथीया पुत्र दुर्गा रैगर को नियमन होने की पुष्टि होती हैं। ग्राम पंचायत रेपडावास द्वारा भी चौथाराम पुत्र दुर्गाराम मेघवंशी का नाम गलत होने का प्रमाण जारी किया हैं। प्रस्तुत आधार कार्ड में वादीगण के पिता चौथाराम पुत्र दुर्गाराम कौम रैगर दर्जसुदा हैं। तनकी सं0 1 व 2 बहस वादी तय की गई हैं। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता की जाति दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम रेपड़वास के ख.नं. 1077 रकबा 0.74 है0 की कृषि भूमि में वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त करते हुए चौथाराम पुत्र दूर्गाराम जाति मेघवंशी के स्थान पर चौथाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर घोषित किया जाता है, तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। शेष खाता बदस्तुर रहें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 18/07/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(ओ020 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

| वादीगण :- | बनाम | प्रतिवादीगण :- |
|---|---|---|
| 1. लीलादेवी पुत्री स्व. चौथाराम पत्नी दुर्गा प्रसाद<br>2 प्रतापराम पुत्र स्व0 चौथाराम<br>3 रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 चौथाराम<br>4 इन्द्रदेवी पुत्री स्व. चौथाराम पत्नि<br>5 ताराचंद जाति रैगर निवासीगण राणावास तह0 मारवाड जंक्शन।<br>6 विजयराज पुत्र स्व0 चौथाराम<br>7 कमलेश पुत्र स्व0 चौथाराम<br>8 श्रीकिशन पुत्र स्व0 चौथाराम तमाम जातिगण रैगर निवासीगण रेपड़ावास तह0 सोजत जिला पाली राज0। | | 1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली (राजस्थान) |

## राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136
## राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व वाद संख्या :- 78/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री लक्ष्मण मेघवाल तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम रेपड़वास के ख.नं. 1077 रकबा 0.74 है0 की कृषि भूमि में वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त करते हुए चौथाराम पुत्र दूर्गाराम जाति मेघवंशी के स्थान पर चौथाराम पुत्र दुर्गाराम जाति रैगर घोषित किया जाता है, तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। शेष खाता बदस्तुर रहें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत –

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18/07/24 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

| मद्दई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | शून्य | शून्य | स्टाम्प वकलतनामा | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वजह सबूत | शून्य | शून्य | महनताना वकल | शून्य | शून्य |
| महनताना वकील पर | शून्य | शून्य | खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य | फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य |
| फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य | बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य | मुतफर्रिक | शून्य | शून्य |
| मतफर्रिक | शून्य | शून्य | | | |
| मद्दई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)